

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (0)

पत्रांक 925 / 2ई०

दिनांक 21 / 05 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:-

जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK /ROAD /20005/2016)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०6/59/2021/एफ०सी०/1532 दिनांक 07.03.2024

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण को प्रतयावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है:-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.960 है० सिविल सोयम भूमि यथा खसरा सं० 2 ग्राम ग्राम पोलिग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
	(ख) प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर वन/सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित की जाएगी तथा उक्त हस्तांतरित एवं नामांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण-।। अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।

(2)

<p>(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य और डब्लू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।</p>	<p>प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य और डब्लू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।</p>
<p>2</p> <p style="text-align: center;">शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.980 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्राल द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.980 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।</p> <p>विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न-01)</p>
<p>3</p> <p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी जायेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।</p>
<p>4</p> <p>प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं० ग्राम तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करायी जायेगी।</p>	<p>प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं० ग्राम तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करायी गयी है।</p>
<p>5</p> <p>प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।</p>	<p>प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर लिया गया है। (सग्लन-02)</p>

6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा (संलग्न-3)
7	गार्डडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों अध्याय 11 अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-11 का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग का रोक देगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। (संलग्न-3)
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। (पत्र संलग्न-03)
11	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण-11 अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	
	1- वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न-4)
	2- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

<p>3- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमान्त और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।</p>
<p>4-राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियों प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।</p>
<p>5-मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जैहा भी लागू हो का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।</p>
<p>6-वैकल्पिक/प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पाँचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति धनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।</p>
<p>7- वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।</p>
<p>8-पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।</p>
<p>9- केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न-5)</p>
<p>10-वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न-6)</p>
<p>11-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन निगम अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न-7)</p>

(5)

12-संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर (Forward/Backward bearings) अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
13-प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और Central verge पर Strip plantation करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न-8)
14-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
15-प्रयोक्ता अभिकरण जैहा भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
16-परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है। (संलग्न-9)
17-वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
18-केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तारित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
19-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित षर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
20-प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण सीलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
21- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

(6)

22- प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश(आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
23- उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कारवाही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।

संलग्न-चार प्रतियों में।

भवदीय
21/5/25

(इ0 अमित कुमार पटेल)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट
21-05-2025

पत्रांक

/2ई0

दिनांक

/05/2025

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनभूमि सहायक को कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

सुभाष/PHONE-0135-2650800, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू०सी०पी०/06/59/2021/एफ०सी०/1532 दिनांक: 07-10/2024

सेवा में,

✓ अपर मुख्य सचिव (घन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-भागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाहिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 हे० घन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/20005/2016)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 2437/FP/UK/ROAD/20005/2016 दिनांक 22.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल / अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएं चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपासना अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक: 22.10.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद- भागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाहिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 हे० घन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सौद्वान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है: (क.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1- प्रतिपूरक वनीकरण:

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोज्य अभिकरण की लागत पर 3.96 हे० सिविल सोयम भूमि यथा खसरा संख्या 2, याम-पोलिंग में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक ध्यायस्परिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

(ख) प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई गैर-वन / सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित की जाएगी तथा उक्त हस्तांतरित एवं नामांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना धरण-II/ अंतिम अनुमोदन की अनुपासन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।



ध्या प्रवि मागित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0 एम0 एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2- शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 अधिनियम में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.98 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

3- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 111 वृक्षों एवं 11 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

4- प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का विवरण (खसरा सं., ग्राम, तहसील, जनपद आदि) साथ ही वर्तमान दरों के अनुसार संशोधित प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कराई जाएगी।

5- प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/ सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।

6- वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।

7- गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कटाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

8- राज्य वन विभाग रेखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।

9- एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10- परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।

11- अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

छाया प्रति प्रमाणित
 राज्य सरकार
 निर्माण एवं विकास विभाग
 कम्प्यूटर

(ख.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सॉफ्ट के पत्राक्षेत्र में हर्षा व सखती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन करण । अनुमोदन से पूर्व प्रत्यु किया जाएगा।

- 1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सॉफ्ट जने के बाद ही वन भूमि सॉपी जाएगी।
- 3- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार वचनित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित करों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
- 4- राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।
- 5- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की समीक्षा, जहाँ भी लागू हो, का सखती से अनुपालन किया जाएगा।
- 6- वैकल्पिक / प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम वन्यजीव घनत्व कम से कम 0.4 हेक्टेर चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 हेक्टेर चाहिए।
- 7- वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यलय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वैच्छानुसार नहीं बदलेगी।
- 8- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
- 9- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ते-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
- 10- वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 11- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
- 12- संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्याशित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।
- 13- प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और और central verge पर strip plantation करेगी।
- 14- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्टैंड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।
- 15- प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।
- 16- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 17- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

छाबा प्रति प्रमाणित

Page 3 of 4


सहायक अभियंता
निर्माण विभाग सं० नि० वि०
दक्षिण

- 18-केंद्र सरकार की पर्यानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- 19-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 20-प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
- 21-यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 22-प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
- 23-उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ.सी.ए. नियम 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

Signed by Neelima Shah, केंद्रीय,

Date: 06-03-2024 11:19:38

(नीलिमा शाह, मा०य०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केंद्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ 0 सी 0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अ. प्र. वन संरक्षक एवं नोडल अधि., वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।
4. आदेश पत्रावली।

छाया प्रति प्रमाणित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० लि० वि०
कपकोट.

आदेश

जनपद बागेश्वर को अन्तर्गत ग्राम चाङ्गिमखेत से कन्गालीकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.98है० वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्मन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 08वीं/यू०सी०पी०/०६/६०/२०२१/एफ०सी०/१६३२ दिनांक ०७.०३.२०२४ से निर्गत सौदागतिक स्वीकृत के क्रम में उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या दिनांक २० फरवरी, २०२५ एवं दिनांक २६ अप्रैल, २०२६ से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम चाङ्गिमखेत से कन्गालीकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त १.९८है० वन भूमि की सुगुनी ३.९६०है० रिविल भूमि, जो ग्राम पोलिंग, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर को गैर जातिखंड संख्या-४०, भेणी ९(३) सं वनर माविल आवाय के पैमाइशी खेत संख्या-०१३ रकबा ४.६९०है० में स्थित वन पंचायत भूमि मध्ये ३.९६०है० भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक पृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ग कार्य नहीं है तथा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित/ययनित नहीं किया गया है।

अतः शारानादेश संख्या: २१७३/४४४(११)/२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७ दिसम्बर, २०१२ तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक ०७.०३.२०२४ में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार विन्धित/प्रस्तावित कुल ३.९६०है० भूमि को क्षतिपूरक पृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: ३१/उच्चोस-०४ वन(२४-२५)/२०२५ दिनांक ०३/०५/२०२५
प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

01. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी, कपकोट।
03. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।
04. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण-पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहरताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक आर. म. वृत्तिय / वन भूमि सहायक

जाया प्रति प्रमाणित

अभिमान्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
कपकोट

अभिमान्ता
13/05/2025

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी0) वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नेकाना खुमटिया
तहसील का नाम गरुड जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनगढ़ बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वनभूमि 0.5490 सिविल लोयम भूमि 1.440 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 अर्थात् कुल 1.988 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नेकाना खुमटिया दिनांक 12/11/16 को सम्बन्धित ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी, अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा अनेकानागति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नेकाना खुमटिया के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य व सही है।

HO/- [Signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम समितिक पंचायत नेकाना खुमटिया
70 230 - गरुड (बागेश्वर)

HO/- [Signature]
ग्राम प्रधान [Signature]
ग्राम पंचायत नेकाना खुमटिया
वि0खण्ड गरुड (बागेश्वर)

37
छाया प्रति प्रमाणित
[Signature]
संस्थागत अधिकारी
निर्माण विभाग लो0 नि0 वि0
कपकोट

परियोजना का नाम- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा को अन्तर्गत विकास खण्ड कापकोट में दांडिगखेत से कल्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलाज (11.00 किमी) तनभूमि प्रस्ताव सत्ताराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 12/01/16 को गागरभा की समस्त नैतिक की उपस्थिति
गाग पंचायत (हंतागल, बुमटिया)

क्रमांक	गाग सभा में उपस्थित बरिज गागवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कानूर सिंह	
2	" हलीप सिंह	
3	" जयन राम	
4	" जय राम	
5	" कमल राम	
6	" गोपाल राम	
7	" मान सिंह	
8	" जोगा सिंह	
9	" श्रीज सिंह	
10	" राजनीर सिंह	
11	श्रीमती - सुलोचिनी देवी	
12	" उलसी देवी	
13	" जूया देवी	
14	" एमा देवी	
15	श्रीमती - मन्दा देवी	
16	श्री उन्दन राम	
17	श्री गोपाल राम	
18	" आशुव राम	
19	" जय राम	
20	" जय राम	

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
विभागाध्यक्ष (लोक निर्माण विभाग)
कापकोट

गाग हंतागल, नैकाना बुमटिया
निर्माण प्रशासन (यागेश्वर)

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग का मिलान (11.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि ०.५४० हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि १.५४० हे० वन पंचायत भूमि ०.०० हे० , अर्थात कुल १.९८० हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जकड़) की दिनांक 03/05/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जकड़) की दिनांक 03/05/16 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गविन्द सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री राजेश सिंह उपजिलाधिकारी जकड़ अध्यक्ष
- 2- श्री सतेन्द्रनाथ त्रिपाठी उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य
- 3- श्री दलीप कुमार समाज कल्याण अधिकारी जकड़ सदस्य
- 4- श्री जगन्नाथ सिंह पी०डी०सी० क्षेत्र जे.आन.ए.एम.ए.ए. सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठककी कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि दाडिमखेत से कन्यालीकोट मोटर मार्ग के परियोजना हेतु १.९८० हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

छाया प्रति प्रमाणित



सहायक अभियन्ता
वि. खण्ड (वे. १) नि० वि०
कपकोट

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बिगेश्वर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरुड क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यांत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में दाडिगखेत से कन्वालीनोट मोटर मार्ग का मिलाग (11.00 किमी०) परियोजना निर्माण हेतु 1:980 हे० वनभूमि लो०/नि०/वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सदाग प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित विषये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Okram
सहायक जमाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गरुड (बिगेश्वर)

[Signature]
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड
जनपद बिगेश्वर

प्रतिलिपि जिलाधिकारी बिगेश्वर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Okram
सहायक जमाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गरुड (बिगेश्वर)

[Signature]
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरुड
जनपद बिगेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
42
[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लाल मी० वि०
कपकोट

वन पंचायत ~~मैकाना लुमरिया~~ की बैठक कार्यवाही

दिनांक 12/01/16 को वन पंचायत ~~मैकाना लुमरिया~~ की बैठक हुई जिसमें ~~गैलर~~

~~लक्ष्मणकोठे~~ ~~जाड़िभरेके~~ से कन्चाली मोट 5 किमी

मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0

सरपंच

दिनांक :-

स्थान:-

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

- (1) श्रीमती लुलसी देवी - लुलसी देवी
- (2) श्री दलीप सिंह - दलीप सिंह
- (3) " श्रीश सिंह - श्रीश सिंह
- (4) " श्रीश सिंह - श्रीश सिंह
- (5) श्रीमती कलावती देवी - कलावती देवी

सरपंच

मैकाना लुमरिया

छाया प्रति प्रमाणित

अधिशासी अभियन्ता

लो0नि0वि0

कपकोट

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.980 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण, खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट


प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.980 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केविल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO.....

Dated...13/05/16

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.980 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Darlmkhet-Kanyallkot Motor Road (Length 5.00) in Bageshwar district** falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.980 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexer.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.


Enclosed- as above

Dated 13/05/16

Signature


(Bhupal Singh Manral)
District Collector (विभागाधिकारी)
Seal (मुद्रा)

(Full name and official seal of the District Collector)

कार्या प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
विभाग सड़क लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

NO.....

Dated 1.2.16/16


To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.980 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Darimkhet to Kanyallkot Motor Road (Length 5.00) in Bageshwer.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.980 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above


Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar
निर्वाहक
कप्तान

छात्रा प्रति प्रमाणित

न्यायिक अधिकारी
दि. 1.2.16 लो. नि. वि.
कप्तान

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 13/05/16 at time 4:00 pm at Bageshwar in which application claiming rights in Darimkhet/Kanyalikot area measuring 1.980 hect for the Construction of Darimkhet to Kanyalikot Motor Road (Length 5.00) in Distt- Bageshwer of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 13/05/16

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe
निमाधिकारी
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण सुकल लोका निर्माण विभाग
काभकोट


स्वामित्व / अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त

मार्ग के किमी० 1.1 किमी (2-4 ए०) Km.2 (6-8 ए०) Km.3 (8-10 ए०) Km.4 (2-4 ए०) में 1 Km. 5 (4-6 ए०)


राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सडक के किनारे खड्ड साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।




राजस्व उपनिरीक्षक
वन नजयूल




राजस्व उपनिरीक्षक
जनपद-सरोवर





छाया प्रति प्रमाणित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड: लो० नि० वि०
कप्रकोट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू-स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

आदेशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (नामेश्वर)

खण्डाध्यक्ष लेखाधिकारी
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (नामेश्वर)

नियंत्रक/प्रमाणित
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (नामेश्वर)

₹ 49,07,010 Rupees Forly Nine Lacs Seven Thousand Ten Only भुगतान हेतु पारित किया जाता है।


सकल धनराशि ₹. 49,07,010

बनेपाधिकारी / उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

S.NO.	Beneficiary	Account Type	IFS Code	Account No.	Gross Amt	Total Ded.	Advance	Net Amount
1	OP8902422701221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896120005071	4907010	0	0	4907010
					4907010	0	0	4907010

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	0120005071
MoEF/SG File No.	00/UCP/00/50/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	C.D.P.W.D.KAPKOTE Dageelwar
Amount(In Rs)	4907010/-


Amount In Words :Forty-Nine Lakh Seven Thousand and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0990335
Pay to Account No.	150890120005071 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	0120005071
MoEF/SG File No.	00/UCP/00/50/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	C.D.P.W.D.KAPKOTE Dageelwar
Amount(In Rs)	4907010/-

Amount In Words :Forty-Nine Lakh Seven Thousand and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0990335
Pay to Account No.	150890120005071 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , opurso@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

U.T.R.N. R.B.I - 2492482873686

Dt - 05-09-2024

धर्या प्रति प्रमाणित

 निम्नलिखित खण्ड से नि:विश
 कापकोट

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment C/Pail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/20005/2016 (-Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/20005/2016) Construction of Darimkhet-Kanyalikhot Motor road (Length 5.00)	ROAD2000520160716120005071	107 Mar 2024	1990316/-Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Other : 2916694/- NPV: , Charges 0/- Other : Charges10/- Other : Charges20/- Other : Charges30/- Total : 4907010/-	PAID	Fund Demand Verified by 30 Aug 2024 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 30 Aug 2024 On Transaction Date 05 Sep 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/240820241507568137_FFUKROAD200052016_User_Fund_Demanded_16373.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD200052016071)	
2	FP/UK/ROAD/15785/2015 (-Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/15785/2015) Construction of Same to Dagdi Via Gyandhura motor road (Length 6.00 Km)	ROAD157852015081157852024	08 Oct 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Other : 1692301/- NPV: , Charges 0/- Other : Charges10/- Other : Charges20/- Other : Charges30/- Total : 1692301/-	PAID	Fund Demand Verified by 24 Aug 2024 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 24 Aug 2024 On Transaction Date 27 Aug 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/090820241021128536_FFUKROAD157852015_User_Fund_Demanded_9704.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD157852015258)	
3	FP/UK/ROAD/17945/2016 (-Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/17945/2016) Kameridevi Bantola Syalot Motor road Km 2 to Rangthari-Vijaur-Chaunai motor Road(2.00 Km)	ROAD179452016621611794562121	21 Jul 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 0/-, Other : 365621/- NPV: , Charges 0/- Other : Charges10/- Other : Charges20/- Other : Charges30/- Total : 365621/-	PAID	Fund Demand Verified by 24 Aug 2024 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 24 Aug 2024 On Transaction Date 27 Aug 2024	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/090820241017464797_FFUKROAD179452016_User_Fund_Demanded_72208.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Netf_Challan.aspx?pid=ROAD179452016621)	

गया प्रमाणित
राज्य प्रशासन
मुख्यालय, देहरादून


परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.960 हे० ग्राम प्रोलीगं सिविल

सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
कानपुर वन क्षेत्र
उत्तराखण्ड


वन क्षेत्राधिकारी
(कानपुर वन क्षेत्र)



उप प्रमागीय वनाधिकारी


ह० इवाकीय वनाधिकारी
कानपुर वन क्षेत्र
प्रमागीय वनाधिकारी

डिजिटल मानचित्र :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend


- Proposed Plantain 3.96 Ha.
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

संयोजक अभियन्ता
निर्माण खण्ड सं० 10/10/10
कपकोट (बागेश्वर)

अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, 10/10/10
कपकोट (बागेश्वर)

अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड सं० 10/10/10
कपकोट (बागेश्वर)

डिजिटल मानचित्र :- माननीय मुख्यमंत्री जी का सं 685/2015 के अन्तर्गत दांडिमखेत से कच्यलीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षा रोपण स्थल



Legend



Proposed Plantation 3.96 Ha

अभिनीत (अभिनीत)
 अभिनीत (अभिनीत)
 अभिनीत (अभिनीत)

अभिनीत (अभिनीत)
 अभिनीत (अभिनीत)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु प्रयोक्ता ऐजन्सी सहमत है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०सी० वि०
कपकोट (बागेश्वर)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०सी० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिभखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

पौधों का वृक्षारोपण (Plantation) कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात जॅहा-जॅहा सम्भव हो प्रयोक्ता एजेन्सी परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर वन विभाग द्वारा पौधों का वृक्षारोपण (Plantation) किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
कन्यालीकोट (बागेश्वर)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण विभाग
कन्यालीकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों /शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण ~~सहायक~~ ~~निर्माण~~ वि०
निर्माण ~~सहायक~~ ~~निर्माण~~ वि०
कपकोट (बागेश्वर)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण ~~सहायक~~ ~~निर्माण~~ वि०
निर्माण ~~सहायक~~ ~~निर्माण~~ विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

शोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दक्षिणखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रतयावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
कन्यालीकोट (बागेश्वर)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण विभाग
कन्यालीकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2016 के अन्तर्गत चाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि गजपूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

वचनबद्धता

योजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.98 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/20005/2016)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
कन्यालीकोट (बागेश्वर)


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण विभाग
कन्यालीकोट (बागेश्वर)